RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC-II/CPM/09/KPHO/2014-17
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अगस्त-2015 | वर्ष - 07 | अंक : 07 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान इलाहाबाद), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), रामप्रकाश भारती (रा.अ.अ.भा.स्व.स.म.)
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
सहायक ब्यूरो चीफ (उ.प्र.) : चन्द्रिका प्रसाद ओमर, 49ए/52-बी, ख्यौरा, आजाद नगर, कानपुर, मो.: 9305256450
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
फुरकान खान, मो. : 8081577681
राकेश समुन्द्रे, मो. : 9889727574
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN005307

ब्राह्मण ही हिन्दू "अन्य वर्ग" नहीं

इस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की देश विदेश में विभिन्न नामों से कुल चालिस संस्थायें चल रही हैं।

आर.एस.एस. के गुरू गोलवालकर ने लिखा है कि "गैर हिन्दू लोगों को या तो हिन्दु संस्कृति और भाषा को अपनाना होगा, हिन्दू धर्म का सम्मान और आदर करना सीखना होगा, हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू संस्कृति के गुणगान के अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं को भूलना होगा, वे इस देश में पूर्णतः हिन्दू राष्ट्र के अधीनस्थ और कोई अधिकार अथवा विशेष अधिकार यहाँ तक कि मूल नागरिक अधिकार भी मांगे बिना रह सकते हैं। हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं की भूमि है। भारत में रहने वाले मुसलमान, ईसाई तथा अन्य वर्ग हमारे मेहमान हैं। वे यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक एक मेहमान के रूप में रहना चाहें। उर्दू एक विदेशी भाषा है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना है।"

बहुजन विचार मंच आर.एस.एस. को बताना चाहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक भी मुसलमान या ईसाई सउदी अरब या रोम से नहीं आया ये दलितों, पिछड़ों व कुछ उच्च वर्ग से धर्मान्तरित हैं। यदि हिन्दू धर्म मानवतावादी था तो इन करोड़ों लोगों ने हिन्दू धर्म क्यों छोड़ा? ब्राह्मण शंकराचार्य के हुक्म से भारत के मूल निवासियों पर दुनियां का दिल दहलाने वाले अमानवीय अत्याचार व महिलाओं की इज्जत पर हमला होने के कारण ही समता, सम्मान और सुरक्षा के खातिर बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्म परिवर्तन हुआ था अटल बिहारी बाजपेई ने बयान दिया था कि मीनाक्षीपुरम् में एक हजार अछूत परिवार ब्राह्मणों द्वारा अमानवीय अत्याचार के कारण ही मुसलमान बने।

साढ़े तीन प्रतिशत ब्राह्मण ने अपनी श्रेष्ठता व जातीय स्वार्थ के खातिर भारतीय जनता का धर्म परिवर्तन करवाकर देश के टुकड़े किये। अब ब्राह्मणों का संगठन आर.एस.एस. भारत के मुसलमानों व ईसाइयों को विदेशी कहकर देश के दुबारा टुकड़े करना चाहता है।

आर.एस.एस. के इस "अन्य वर्ग" में कौन लोग शामिल हैं? निश्चित ही उसके अन्तर्गत "सिक्ख, बौद्ध दलित व पिछड़ों" को शामिल किया गया है अब कौन बाकी बचा? जाति स्वार्थ में अन्धे लोग आम जनता को साम्प्रदायिक आग में झोंककर देश के टुकड़े कराने पर उतारू हैं। बहुजन समाज अब इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

हिन्दू किसे कहते हैं? हम बहुत दिनों से बचते रहे परन्तु आज जब हिन्दू शब्द के कारण ही देश व समाज के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया गया है, तो इसकी असलियत को उजागर करना अनिवार्य हो गया है। हिन्दू शब्द का अर्थ समझ लेने से तमाम भ्रान्तियाँ दूर हो जायेगी तथा राम जन्म भूमि व बाबरी मस्जिद का हल भी निकलना शुरू हो जायेगा। हमें माफ करें गयासुललुगात शब्द कोष में हिन्दू शब्द का अर्थ। "काला काफिर, चोर, लुटेरा व बहशी किस्म का इन्सान" आया है। आज तक हिन्दू नाम का कोई ग्रन्थ या कोई देवता पैदा नहीं हुआ। यह शब्द आज से सिर्फ 400 साल पहले प्रयुक्त हुआ। हिन्दू शब्द न तो संस्कृत भाषा का प्राकृत रूप है और न ही सिन्धु का फारसीकृत रूप। वास्तव में विदेशी हमलावारों ने कुछ लोगों के विकृत व स्वार्थपूर्ण संस्कारों को देखकर इन्हें हिन्दू कहकर गाली दी जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया तथा बादशाह सलामत के बगल में कुर्सी पर बैठने के खातिर बीरबल ने उनकी भड़ैती की और क्षेत्रियों ने उन्हें अपना रिश्तेदार बनाया। इस प्रकार भारतवासियों को इस शब्द से कलंकित व अपमानित करने का यह पहला ब्राह्मणवादी कुचक्र था। नेहरू ने लिखा कि भारतीय संस्कृति को हिन्दू संस्कृति कहना असत्य एवं अवांछनीय है।

जिस प्रकार पं० रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा जार्ज पंचम की प्रशंसा में लिखे गये जन गन मन ..... नामक भड़ैती गीत को राष्ट्रीय गीत मानकर देश का अपमान किया गया तथा भन्डा फोड़ होने पर आज डा. इकबाल द्वारा लिखित सारे जहां से अच्छा.....नामक गीत को कौमी तराना स्वीकार करना पड़ा उसी प्रकार हम आर.एस.एस. से अपील करते हैं कि इस शब्द से कलंकित व अपमानित करने से बाज आवें।

हिन्दू के अन्तर्गत कौन आते हैं? सन् 1951 तक के मत गणना फार्मों में हिन्दू शब्द के आगे ब्रेकिट में ब्राह्मनिक शब्द लिखा मिलेगा। गांधी जी ने हिन्दू धर्म की जगह वर्णाश्रम-धर्म, सनातन धर्म व वैदिक धर्म जैसे अच्छे नाम सुझाये थे। परन्तु आर.एस.एस. हिन्दू शब्द प्रयुक्त करने पर मजबूर है क्योंकि इससे ब्राह्मणों के अल्पमात में होने का खतरा है। अतः भारत के मूल निवासी बहुजन अब अपने को भारतीय अपनी राष्ट्रीय भाषा को भारती व इस देश को भारत वर्ष कहें। यदि कुछ विदेशी आर्य हिन्दू शब्द के अधिकारी हो तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

हिन्दू राष्ट्र क्या हैं? आर.एस.एस. 'हिन्दू राष्ट्र' शब्द प्रयुक्त करता है, हिन्दू देश नहीं। भारत एक देश है। न हिन्दू राष्ट्र है न मुस्लिम राष्ट्र है, न ईसाई राष्ट्र है। हिन्दू राष्ट्र तो तब होता जब पूरे देश में सिर्फ ब्राह्मण ही रह रहे होते। मुस्लिम राष्ट्र तब होता जब सिर्फ मुस्लिम ही रह रहे होते। साढ़े तीन प्रतिशत जनसंख्या वाले ब्राह्मणों के लिए इस देश को हिन्दू राष्ट्र कैसे कहा जा सकता है? भारत तमाम राष्ट्रीयताओं वाला धर्म निरपेक्ष देश है। सुप्रीम कोर्ट के न्याय मूर्ति राजेन्द्र सच्चर व प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने हिन्दू राष्ट्र की मांग करने वालों को देश का गद्दार बताया है।

हिन्दू शब्द की परिभाषा : पं० मदन मोहन मालवीय के अनुसार "जिनकी वेदों में भागीदारी हो वे ही हिन्दू हैं" गान्धी जी के अनुसार "वेद, उपनिषद, धर्म सूत्र, पुराण, रामायण व महाभारत को जो नहीं मानता वह हिन्दू नहीं है।" इन परिभाषाओं ने भी 22.5 प्रतिशत अनु०जाति/जन जाति व 52 प्रतिशत पिछड़ी जातियों को हिन्दू मानने से इनकार करदिया क्योंकि उपरोक्त धर्म ग्रन्थों को इन शूद्रों द्वारा पढ़ने या सुनने पर जीभ कटवा लेने या कान में पिघला सीसा डालने का विधान है तथा-वे वर्णाधम तेलि कुम्हार, स्वपत, किरात, कोल, कलवारा, कहकर इन वर्गों को गालियां दी गई हैं। हिन्दू धर्म की कोई परिभाषा कानून तक नहीं दे सका तथा मजबूर होकर भारतीय कानून को हिन्दू की नकारात्मक परिभाषा लेनी पड़ी, "एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी नहीं है, हिन्दू है।" अतः हिन्दू राष्ट्र उन्मादियों को भारतवासियों को इस संकुचित व अपमान जनक शब्द से पुकारने की भावना को त्याग देना चाहिए।

ब्राह्मण शब्द का सांकेतिक शब्द (कोडवर्ड) हिन्दू है। हिन्दू राज्य का अर्थ है। ब्राह्मणों का राज ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए। पन्द्रह प्रतिशत ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य की 85 प्रतिशत पर हुकूमत। वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा और नरबलि का नग्न नृत्य। जनता से जबरन छीनकर हजारों गायों बछड़ों और घोड़ों की यज्ञों हेतु बलि

व घी, तिल, जौ, चावल आदि बहुमूल्य पदार्थों का अलाव जलाकर उड़न छू स्वाहा करके प्रदूषण फैलाना व 21 प्रकार की शराब व जुआ बाजी का नग्न प्रदर्शन करना। जिस राम राज्य/हिन्दू राज्य में शूद्र शम्बूक की गर्दन व आदिवासी एकलव्य जिसे आर.एस.एस. हिन्दू कहता है। का अंगूठा काटना धार्मिक कानून हो, उसमें मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध कैसे जिन्दा रह पायेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत बाबा साहेब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों के लिए यह कर दी कि राजा रानी के ही पेट से पैदा न होकर वोट के बल पर मेंहतरानी के भी पेट से पैदा होगा। इसी लिए बेचारे पं० लाल कृष्ण अडवानी जिस रथ में भगवान राम व जगन्नाथ जी सवार होते उस पर एक हाथ में भाजपा का झन्डा व दूसरे हाथ में चुनाव चिन्ह कमल थामें हुए खुद सवार थे।

अरबों खरबों की लागत वाले हजारों मन्दिर ब्राह्मणों ने बनियां की थैली से बनवाये जिसमें शूद्रों का प्रवेश व पुजारी बनना वर्जित है, उनकी कार सेवा हेतु अछूतों व पिछड़ों का आवाहन क्यों नहीं किया गया? जरा भी राम की राम जन्म भूमि से प्यार है तो सवर्ण अपनी जनशक्ति से मन्दिर क्यों नहीं बनाते। मन्दिर का मुद्दा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे दलित, पिछड़े, मुसलमान, सिक्ख व ईसाइयों को बांटकर उन्हें आपस में लड़ाने का षड़यंत्र है। मान सरोवर झील, शंकर जी का घर हिमालय व 80 हजार किमी० मातृभूमि हिन्दुओं को बुजदिली के कारण चीन ने हड़प ली।

राम राज्य/हिन्दु राज्य में समता मूलक संविधान की जगह मनुस्मृति व अन्य धर्म ग्रन्थों का कानून लागू होगा तथा यह कितना भयावह होगा उसकी बानबी नीचे ही दी जा रही है।

1. ब्राह्मण विश्व की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी है, कोई दूसरा नहीं है तथा वह ईश्वर के समान है। समस्त अब्राह्मणों को उनका सम्मान व पूजा करनी चाहिए।
2. मूर्ख ब्राह्मण का भी श्रेष्ठता में उच्च स्थान है।
3. ब्राह्मण के चरणों में सभी तीर्थों के जल की परित्रता विद्यमान है। यदि उसके चरणों को पानी से धो लिया जाय तो वह सभी तीर्थों एवं मन्दिरों के जल के समान है।
4. गैर ब्राह्मण जातियों के लोग ब्राह्मण की हर प्रकार रक्षा व सेवा करेंगे। उन लोगों का जन्म ही ब्राह्मणों की सेवा के लिए हुआ है।
5. शूद्र अपने स्वामी द्वारा चाहे मुक्त कर दिया गया हो किन्तु दास्ता से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि उसका जन्म ही गुलाम की श्रेणी में हुआ है। जब वह जन्म से गुलाम है तो उसे इस स्थिति से कौन मुक्त करा सकता है।
6. ब्राह्मण शूद्र को भौतिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकता।
7. कोई शूद्र कितना भी समर्थ क्यों न हो उसे धन संग्रह करना चाहिए। धन होने से शूद्र में अहंकार आ जाता है। जिससे वह ब्राह्मण को पीड़ित कर सकता है। वह अस्त्र, शस्त्र भी नहीं रख सकता।
8. ब्राह्मण के जीवन की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार क मिथ्या व्यवहार का सहारा लिया जा सकता। इसमें कभी कोई पाप नहीं लगता।
9. ब्राह्मण कभी गलत कार्य नहीं करता।
10. राजा ब्राह्मणों का बध किसी भी दशा में नहीं कर सकता। चाहे उसने कितने ही जघन्य अपराध क्यों न किये हों।
11. सारा जगत देवताओं के अधीन है। देवता मंत्रों के अधीन हैं, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, अतः ब्राह्मण ही सर्वोपरि हैं।
12. शूद्र यदि अपने को ब्राह्मण कहे तो उसकी आंखों में जहर डाल कर उन्हें फोड़ देना चाहिए।
13. द्विज शूद्र स्त्री से विवाह न करें सिर्फ सन्तान उत्पन्न करें तो इसमें कोई पाप नहीं है।
14. ब्राह्मण का गुलाम क्षत्रिय, क्षत्रिय का गुलाम वैश्य तथा तीनों का गुलाम शूद्र।
15. यदि शूद्र वेद पढ़े या सुने तो उसकी जीभ काट ली जाए और उसके कान में रांगा पिघला कर भर दिया जाय।
16. शूद्र का धर्म है कि व गाय का दूध न पिये क्योंकि इससे उसे नर्क मिलता है।
17. यदि कोई ब्राह्मण शूद्र स्त्री से व्यभिचार करे तो उसे धन देकर देश से निकाल दिया जाय। यदि शूद्र किसी ब्राह्मण स्त्री से ऐसा करे तो उसे मृत्यु दण्ड दिया जाय।
18. चान्डालों और शूद्रों को सुअर व कुत्ते की श्रेणी में रखा जाय।
19. ब्राह्मण का मंगल सूचक तथा शूद्र का निन्दा सूचक नामकरण किया जाय।
20. ब्राह्मण शूद्र को गाली दे तो कोई आर्थिक दन्ड न दे परन्तु यदि शूद्र ब्राह्मण को गाली दे तो उसे मृत्यु दन्ड दिया जाए।

देश का गद्दार व विदेशी कौन? ब्राह्मणों के नेता पं० बाल गंगाधर तिलक तिलक ही नहीं पूरी दुनियां के इतिहास कार यह सिद्ध कर चुके हैं। कि आर्य ई० पू० 1500 साल पहले मध्य एशिया से भारत पर आये। आर्यों की देश के प्रति गद्दारी से इतिहास भरा पड़ा है। सन् 712 में मोहम्मद बिन कासिम की विजय एक मन्दिर के पन्डे ने मन्दिर का झन्डा झुकाकर कराई थी। जिस सोमनाथ मन्दिर से अयोध्या तक आज भाजपाई ब्राह्मण रथयात्रा निकाल रहे हैं। उसी सोमनाथ मन्दिर का जो फाटक हाथियों से भी न टूटता, उसको एक धन लालची व गद्दार पन्डे ने महमूद गजनवी के लिए खोल दिया था शायद भाजपाई सोमनाथ मन्दिर की गद्दारी की साल गिरह मना रहे हैं। जो चिट्ठी जय चन्द ने मुहम्मद गोरी को भेजी उसका वाहक भी एक ब्राह्मण था। महाराजा रणजीत सिंह व स्वामी दयानन्द सरस्वती को जहर देने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। मुहम्मद बख्तियार के हमले के समय बंगाल का ब्राह्मण शासक बिना युद्ध किये ही पीछे के दरवाजे से भाग गया था ब्राह्मणवाद के राष्ट्रपिता गांधी की हत्या भी एक पूना के एक चित पावन ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने की सन् 1962 के भारत चीन युद्ध में ब्राह्मण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं ब्राह्मण सेनापति जनरल कौल मैदान छोड़कर इलाज के बहाने दिल्ली भाग गये थे। पं० कुमार नारायन अय्यर समेत जो 5 लोग 11 साल तक विभिन्न मंत्रालयों से अति गोपनीय दस्तावेजों की चोरी करके विदेशों में बेचते रहे वे सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने ही क्षत्रपति शिवाजी का राज्यभिषेक पैर के अंगूठे से करके हमारी वीरता और शौर्य का अपमान किया। ब्राह्मणों के मसीहा पं० तुलसीदास ने तेली, कुम्हार, भंगी, आदिवासी, कलवार, अहीर, मुसलमान, खटिक आदि को नीच और पापी कौम में कहा। इन्हीं पं० जी ने बरबै रामायण में लिखा कि "जो अहीर पिंगुल पढ़ै, तऊ तीन गुण हीन उठवो बोलवो बैठवों लओ विधाता छीन" अतः देश के प्रति गद्दारी और विश्वासघात की आरक्षण भी ब्राह्मण का ही रहा।

ब्राह्मणों ने देश को क्या दिया? ब्राह्मण हमेशा अमरबेला की तरह परजीवी रहा। देश के 7 लाख मन्दिरों से गैर ब्राह्मणों के चढ़ावे का 70 अरब रूपया सालाना ब्राह्मणों की जेब में जा रहा है। इन मन्दिरों में लाखों पुजारियों के पदों पर ब्राह्मणों का जाति पर आधारित आरक्षण है। मस्जिद में चढ़ौता नहीं चढ़ता फिर भी मुसलमान जमात बैंक द्वारा गरीबों को ब्याज रहित ऋण देते हैं। चर्च के कानवेन्ट स्कूलों व कालेजों का ऊंची जाति वाले ही फायदा उठाते नजर आयेगे। गुरूद्वारों की मदद के कारण कोई भी सिक्ख भीख मांगता नहीं मिलेगा। परन्तु जिन 45 करोड़ दलितों व पिछड़ों को आज भाजपाई राम मन्दिर बनाने के लिए कार सेवा में ले जाना चाहते हैं। उनके लिए उन्हीं के चढ़ौते में से कभी भी उनकी कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और न कोई सार्वजनिक हित के कार्य करवायें। उस धन को हमेशा ही सुरा, सुन्दरी और अय्यशी पर ही खर्च किया।

क्या भारत हिन्दू बाहुल्य है? सन् 1981 को जनगणना में 15 प्रतिशत मुस्लिम सिक्ख ईसाईयों को आर.एस. हिन्दू नहीं कह सकता। यदि ये हिन्दू होते तो इनकों हिन्दू धर्म में धर्मान्तरण कराने का प्रयास न किया जाता यदि 7.5 प्रतिशत आदिवासी हिन्दू हैं तो बस्तर में उनको हिन्दू क्यों बनाया जा रहा है तो उन्हें मन्दिरों से क्यों दुत्कारा जाता है? यदि अछूत हिन्दू हैं तो ब्राह्मणों ने उनके आरक्षण के खिलाफ दो युद्ध क्यों छेड़े? यदि अछूत हिन्दू होते तो "लो अछूतों को छाती लगा हिन्दुओं वर्ना ये लाल गैरों के घर जायेंगे' का नारा क्यों दिया गया। यदि ये हिन्दू है तो इनकी लड़कियों को देवदासी क्यों बनाया जाता है? यदि ये हिन्दू है तो उनका कत्लेआम व महिलाओं का बलात्कार क्यों किया जा रहा है? युद्ध के बाद सर्वोच्च महान बाबा साहेब ने भी लिखा है। कि अछूत हिन्दुओं से एकदम भिन्न हैं। यदि बावन प्रतिशत पिछड़ा वर्ग हिन्दू है तो ब्राह्मण उनकी कच्ची रसोई क्यों नहीं खाते? यदि पिछड़े हिन्दू है तो ब्राह्मण मन्डल आयोग का क्यों विरोध कर रहे हैं? यदि पिछड़ी जातियां हिन्दू हैं तो तुलसी ने उनको नीच पापी व अधम क्यों लिखा? पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीना और ढोल गंवार शूद्र ..... क्यों लिखा? सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, चौधरी ब्रम्हप्रकाश, कपूरी ठाकुर व पेरियर ने लिखा कि पिछड़ी जातियां हिन्दुवाद की शिकार बनाई गई।

पंडित जी मन्दिर में ठाकुर जी के पैर छूते हैं परन्तु मन्दिर के बाहर ठाकुर जी पंडित जी के पैर छूते हैं। यदि क्षत्रिय हिन्दू हैं तो रामलीला में राम व सीता का पाठ क्षत्रिय बालकों को क्यों नहीं करने दिया जाता? यदि क्षत्रिय हिन्दू है तो 10 साल के ब्राह्मण को 100 साल के क्षत्रिय द्वारा पिता से सम्बोधित करने व चरण स्पर्श करने का विधान क्यों बनाया? यदि क्षत्रिय हिन्दू है तो ठाकुर साहब प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया) को आर.एस.एस. महासचिव पद से बरखास्त करके बंगलौर के चितपावन ब्राह्मण को क्यों नियुक्त किया गया है? बनियां को बनियां बक्काल किसने कहा? उसे संस्कृत के स्थान पर सिर्फ मुड़िया भाषा पढ़ने दी। उन्हें तीसरे दर्ज का हिन्दू माना।

इस प्रकार 22.5 प्रतिशत अनु०जाति/जनजाति+52 प्रतिशत पिछड़ी जाति 10.5 प्रतिशत अल्प संख्यक 85 प्रतिशत गैर हिन्दू भारतीय हैं। अब बाकी 15 प्रतिशत सवर्ण की जनसंख्या बचती है। जिसे फारसी शब्द कोष के अनुसार हिन्दू कहा जा सकता है। क्या 15 प्रतिशत हिन्दुओं के नाम पर इस देश को हिन्दू राष्ट्र कहना भारत के प्रति विश्वासघात नहीं हैं?

जनेऊ पहिनाकर पिछड़ों का हक मारा– जब भारत के मूल निवासी बहुजनों ने मौर्य कालीन व गुप्त कालीन स्वर्ण युग बनाये तो हमारे सामने मनुस्मृति व पुराणें परोस कर हमारा शुद्धीकरण किया गया तथा हमें जगतगुरू शंकराचार्य के "ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या" के मिथ्या जाल में फंसाकर हमारा ध्यान नैतिक जगत से हटाया गया। जब बहुजन क्रांन्ति के जनक ज्योतिबा राव फुले व महाराजा साहू जी ने "सत्य शोधक समाज" नामक आन्दोलन चलाकर बहुजनों के अधिकारों की बहाली का अभियान चलाया, तो पं० बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी नामक नया त्योहार गढ़कर उसका तूफानी प्रचार किया तथा बहुजन समाज को गुमराह करके आन्दोलन को ठन्डाकर दिया। जब बाबा साहेब अम्बेडकर और पैरियर रामास्वामी नायकर ने दलितों व पिछड़ों का शासन सत्ता व समाज परिवर्तन हेतु आवाहन किया तो हमें राम मन्दिर दिखाकर हिन्दू कहा जाने लगा। आरक्षण व राम जन्म भूमि का झगड़ा बहुजन क्रान्ति को दबाने के लिए ही खड़ा किया गया है। इस प्रकार जब हमने अपने अधिकारों की मांग की तो ब्राह्मणों ने नई धार्मिक पुड़िया छोड़कर हमें नसे में सुला दिया। 15 प्रतिशत जनसंख्या वालों ने हमें देश की उन्नति के हर क्षेत्र के 90 प्रतिशत पर कब्जा कर रखा है। एक पार्टी को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक दलो पर इन्हीं ऊंची जाति वालो का कब्जा है। इसलिए इन दलों ने 85 प्रतिशत बहुजन समाज अनु०जाति/अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ भी नहीं मिलने दिया। बहुजन समाज को वी.पी. सिंह ब्राण्ड मण्डल आयोग व राम मन्दिर से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमें मंदिर नहीं अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए।

आज देश और समाज की संकट की घड़ी में हम कुछ निर्देश दे रहे हैं। जिनका पालन जीवन के हर क्षेत्र में करें।

1. गैर ब्राह्मण अपने दैनिक जीवन में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को अपने ही समाज के किसी विद्वान व्यक्ति से सम्पन्न करायें अथवा पूरी तरह इन शोषक संस्कारों को त्याग दें। किसी भी पोंगा पन्थी से ये संस्कार न कराये जाये और न पोंगा पन्थी उत्सवों के लिए कोई चन्दा दिया जाय।
2. खरीददारी या आर्थिक लाभ के कार्य गैर ब्राह्मणों से करें। अर्जन करने वालों की सम्पत्ति अर्जन करने वालों के ही पास रहनी चाहिए न कि किसी परजीवी वर्ग पर।
3. 85 प्रतिशत बहुजन समाज खान पान बैठन बोल चाल में समानता बरतें तथा बहुजन समाज नारे अपने क्षेत्रों में लिखवायें।

अ. देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा।
ब. वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
स. वोट से लेंगे सी.एम., पी.एम. मण्डल से लेंगे एस.पी. डी. एम.।
य. दलित मुसलमां, सिक्ख, ईसाई भारत देश के चार सिपाही।

4. राम मन्दिर ज्योति पर राजनैतिक रोटियां सेंकने वालों की कार में किसी भी हालत में शामिल न हों।
5. बहुजन भाइयों अधिक से अधिक संख्या में बहुजन विचार मंच के सदस्य बनकर अपनी प्राचीन संस्कृति तथा बहुजन कल्याण की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

अतः भारत और भारत वासियों को ब्राह्मणवादी कुचक्र से बचाने के लिए इस संकट की घड़ी में देश के बहुजनों का यह कर्तव्य है कि वे एक प्लेट फार्म पर इकट्ठा होकर सामाजिक व आर्थिक न्याय की लड़ाई तीव्र करें और इस देश की सत्ता और स्वामित्व अपने हाथ में लें।

संकलनकर्ता – **सी० पी० ओमर**
49ए/52बी, ख्यौरा, आजाद नगर,
कानपुर नगर (उ० प्र०)

शेष भाग जुलाई के अंक का .....

दलित जातियों के हितों की रक्षा

अनुलग्नक–क

मद संख्या 1

(टाइम्स.आफ इंडिया 8 फरवरी 1928 से)

अंत्यजों का उत्थान नहीं

पिछले महीने बंबई के सनातनी रूढ़िवादी अग्रवाल मारवाड़ियों के बीच स्थानीय नर नारायण मंदिर में महामहोपाध्याय पंडित अनन्त कृष्ण शास्त्री (प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय) ने गत मास एक प्रवचन दिया, जिसे भारतीय समाज सुधार की तीव्र प्रगति के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उसे अवांछित विस्मरण से बचाया जाना चाहिए। प्रवचन का विषय था 'पतितों के उत्थान का मार्ग' और अध्यक्षता बंबई के नए वैष्णव मंदिर के श्री जगदगुरू अनंताचार्य महाराज ने की थी। प्रवचन में वक्ता ने शास्त्रों से प्रमाण देकर सिद्ध किया कि आदि काल से विभिन्न जातियां चली आ रहीं और वे अनन्त काल तक रहेंगी। उन्होंने कहा कि जो अत्यंजों के उत्थान की बात करते हैं, वे गाल बजाते हैं। वास्तविकता यही है कि अत्यंजों का इस दृष्टि से उत्थान करने का कोई उपाय नहीं है कि उन्हें चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण में शामिल कर लिया जाए या उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति में परिवर्तन किया जाए।

रूढ़िवादी उदारता

विद्वान वक्ता ने उत्थान के अयोग्य पतितों के उत्थान की एकमात्र संभावना बताई अर्थात उनके कुछ उन अहरणीय धन्धों को उदारतापूर्वक पुनः उन्हें सौंप दिया जाए, जिन्हें आजकल अविचारशील तथा अरूढ़िवादी सवर्ण लोगों ने हथिया लिया है। महामहोपाध्याय ने कहा, "20 वीं शताब्दी में लोग सवेरे उठते हैं और अपने कीमती जूते साफ करने बैठ जाते हैं और बजाए इसके कि वे अपना नियत प्रातःकालीन धर्म–कर्म करें, फिर वे अपनी हजामत आप करने लगते हैं। स्वदेशी ढंग से अपने दांत साफ करने के बजाए (बबूल की दातून से) अपने दांतों से ब्रुश रगड़ने लगते हैं। ऐसा करके वे मोची, हज्जाम और दातून बेचने वालों को उनके व्यवसाय से वंचित करते हैं। सब धर्मानुसार कार्य करें और संतुष्ट रहें, अंत्यजों के उत्थान का यही एकमात्र उपाय है, जिन लोगों ने इन पतितों को उनकी रोटी, रोजी से वंचित कर दिया है, वे ही उन्हें उसे वापस करें।"

मद संख्या 2

(टाइम्स आफ इंडिया 2 मार्च 1928 से)

भारत में अंत्यज

लेकिन देशभक्त भड़केंगे, यह सब ब्रिटिश भारत में हुआ, भारतीय के भारत में नहीं। अभी हाल में मध्य भारत के एक देशी बड़े राज्य में बलाइयों पर क्या बीती? जब उन्होंने सोने और चांदी के आभूषण पहने और स्पृश्य सवर्ण हिन्दू जैसा व्यवहार करने का भद्दा काम किया। और यह है "सौराष्ट्र का समाचार बड़ौदा राज्य क्षेत्र के अंत्यजो के बारे में, जहां महाराजा को स्वयं इन अभागों से गहरी सहानुभूति है"। गुजराती स्कूलों में अंत्यज छात्रों की भर्ती का प्रावधान केवल कागजी कारवाई हैं। लगभग 95 प्रतिशत स्कूलों में अंत्यज बच्चों को कक्षा से बाहर सर्दी, गर्मी और बरसात में बैठे रहना पड़ता है। उनसे गोबर, ईंधन, मिट्टी आदि मंगाई जाती है। अप्रैल 1927 में एक अंत्यज दामनगर डिस्पेन्सरी में दवाई लेने गया। तो डाक्टर ने उसे बारह घंटे इंतजार में खड़ा रखा। इसके बाद उसकी जांच दूर से ही की और दूर से ही उसे दवाई दी। यह सब कुछ बड़ौदा विधायिका के एक अंत्यज सदस्य के सामने हुआ और सूरत का 'प्रताप' लिखता है कि जब नवासरी अंत्यज आश्रम का एक अध्यापक एक बीमार छात्र को स्थानीय अस्पताल में ले गया, तो उन दोनों को प्रभारी डाक्टर ने यह कहकर भगा दिया, "भाग जाओ यहां गांधी का राज नहीं, बड़ौदा सरकार का राज है।"

मद संख्या 3

(ईवनिंग न्यूज, 11 मई 1926 से)

जम्बूसार नगरपालिका में अस्पृश्य

चार हिन्दूओं का त्यागपत्र

जम्बूसार नगरपालिका के लिए एक अस्पृश्य के नगरपालिका सदस्य चुने जाने पर सनसनी फैल गई है। चार हिन्दू सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और बाकी ने प्रण किया कि वे उस अस्पृश्य सदस्य को छुएंगें नहीं और यदि छू भी लिया तो तुरन्त नहायेंगे।

मद संख्या 4

(बंबई क्रानीकल से)

कोलाबा दलित जातीय सम्मेलन : उच्च जातीय हिन्दुओं की गुडांगर्दी

'टाइम्स आफ इंडिया' ने अपने 24 तारीख के अंक में महाड़ के दंगों पर एक बयान छापा, परन्तु क्योंकि वह बयान अधूरा है और वहां जो हुआ, उसकी सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता, इसलिए दंगे का पूरा और सही विवरण देना आवश्यक है।

कोलाबा जिले के दलित जातियों का एक सम्मेलन महाड़ में 19–20 मार्च 1927 को डा. भीमराव. अम्बेडकर, बार–एट–ला की अध्यक्षता में हुआ। दलितों की उपस्थिति ढाई हजार से अधिक थी और उनमें भारी उत्साह था। परन्तु दंगे के कारण सम्मेलन के काम में गंभीर बाधा पड़ी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाड़ की ऊचीं जाति के हिन्दू निवासियों पर है। सम्मेलन के पहले दिन जब अध्यक्षीय भाषण के बाद कई सवर्ण हिन्दुओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया और दलितों को आश्वासन दिया कि वे हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार हैं और आग्रह किया कि दलित लोग सवर्ण हिन्दुओं के विरूद्ध घृणा न फैलाएं। इसे देखते हुए विषय समिति ने जिस प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया, उसमें यह भी कहा गया था कि ऊंची जाति के हिन्दुओं को दलितों के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए। विषय समिति में कुछ लोगों ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि महाड़ में दलितों लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। यह दिक्कत महाड़ के निवासी दलितों के सामने ही नहीं है, बल्कि गांव वालों को भी उठानी पड़ती है, जो व्यक्तिगत कार्यों या सरकारी कार्यों से महाड़ आते हैं। वहां पानी का इतना अभाव है कि सम्मेलन के लिए 15 रूपये रोज का पानी खरीदना पड़ा। कुछ दिन पहले महाड़ नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषणा की थी कि शहर के तालाबों पर जनता को जाने की अनुमति है, परन्तु उसने वहां कोई बोर्ड नहीं लगाया था। लोग वहां जाने से डरते थे। इसलिए विषय समिति के सम्मेलन में उच्च जाति के लोगों के विचार इस विषय में जानकर यह फैसला किया गया कि सम्मेलन में शामिल लोग चोदार तालाब पर इकट्ठे होकर जाएं और दलित जाति के लोगों को पानी लेने का उनका अधिकार दिलाने में सहायता दें।

झूठी अफवाह

जब 20 तारीख की सुबह सम्मेलन फिर शुरू हुआ तो पहला संकल्प जिसमें यह घोषणा की गई कि सवर्ण हिन्दू दलितों के लिए क्या करें, दलित वर्गों के सदस्यों द्वारा सम्मेलन के समक्ष रखा। अध्यक्ष ने सर्वश्री पुरूषोत्तम प्रभाकर जोशी और गोविंद नारायण धारिया (ऊंची जातियों के प्रतिनिधि) से संकल्प पर बोलने का अनुरोध किया। संकल्प में अन्तर्जातीय विवाह से संबंधित एक खंड को छोड़कर उन दोनों ने संकल्प को स्वीकार किया। इस संकल्प को लेकर आम सहमति थी। इसलिए सम्मेलन का सत्र समाप्त होने के बाद सभी लोग एकत्र होकर उस तालाब की ओर बढ़े। जुलूस अत्यन्त शांत था और सब कुछ शांति से गुजरा। परन्तु लगभग दो घंटे बाद बाहर के कुछ बददिमाग लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि दलित वर्गों के लोगों का इरादा वीरेश्वर मंदिर में घुसने का है, जिससे बदमाश लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके पास लाठियां भी थी। भीड़ शीघ्र आक्रामक हो गई और सारा शहर गुंडों की चपेट में आ गया, जो दलितों के खून के प्यासे लगते थे।

बीस घायल

दलित वर्गों के लोग अपने अपने गांवों को रवाना होने से पहले खाना खा रहे थे। जब उनमें से अधिकांश चले गए, तो गुंडे रसोई में घुस गए जहां दलित लोग खाना खा रहे थे। दोनों दलों के बीच युद्ध छिड़ सकता था, परन्तु दलित वर्गों के नेताओं ने अपने लोगों को रोक लिया और इस प्रकार भीषण दंगा टल गया। जब गुंडों को मुकाबला करने वाला कोई नहीं मिला, तो उन्होंने सड़क पर घूमना शुरू कर दिया और उन इक्का दुक्का दलितों पर हमला करना शुरू कर दिया, जो अपने गांवों को लौट रहे थे। वे दलितों के घरों में भी घुस गए और उन्हें बुरी तरह पीटा। कुल मिलाकर 20 दलित घायल हुए। इस घटना में दलितों का व्यवहार प्रशंसनीय था, जबकि बड़ी जातियों के अनेक लोगों का बर्ताव निदंनीय था। जो दलित वहां इकट्ठा हुए थे, उससे कहीं ज्यादा बड़ी जातियों के लोग आ धमके। परन्तु क्योंकि उनके नेताओं का उद्देश्य अहिंसक और पूरी तरह संविधानसम्मत था, इसलिए दलितों ने कोई आक्रामक रूख नहीं अपनाया। दलित वर्गों के पक्ष में यह बहुत बड़ी बात है कि यद्यपि उन्हें बुरी तरह उकसाया गया था, किन्तु इसके बावजूद उन्होंने आत्मसयंम बरता। महाड़ सम्मेलन से यह सिद्ध होता है कि ऊंची जातियां दलितों को सार्वजनिक पनघटों से पानी लेने जैसे प्राथमिक नागरिक अधिकारों के उपयोग के विरूद्ध हैं।

महाड़ और कोलाबा जिलों में सवर्ण हिन्दुओं का सबसे निंदनीय कार्य यह था कि विभिन्न गांवों के अपनी जाति भाइयों को उन्होंने तुरन्त संदेश भेज दिया कि जैसे ही सम्मेलन से भाग लेकर दलित लोग अपने गावों में पहुचें, उन्हें दण्ड दें। इसके परिणामस्वरूप, जो लोग महाड़ सम्मेलन से लौटे, उनके साथ गांव पहुंचने से पहले या बाद में मारपीट की गई। दलितों की विडंबना यह थी कि उनकी संस्था बड़ी जातियों के मुकाबले बहुत कम थी। दलितों के नेताओं ने अधिकारियों से संरक्षण की अपील की है और डी.एस.पी. सहित जिला अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं। बहरहाल यह बताना जरूरी है कि यदि रेजीडेंट मजिस्ट्रेट दो घंटे तक हाथ पर हाथ धरे न बैठा रहता तो दंगा रूक सकता था।

मद संख्या 5

(यंग इंडिया, 5 मई 1927)

मानव का मानव के साथ अमानवीय व्यवहार

(लेखक, मो. क. गांधी)

एक अन्य स्तंभ में नवजीवन से उद्धत अंश दिया गया है। यह जान–बूझकर अमानवीय व्यवहार का अति निदंनीद मामला है। इसमें चिकित्सक ने काठियावाड़ के एक गांव में दलित वर्ग के एक व्यक्ति की मरणासन्न पत्नी के प्रति घोर अमानवीय व्यवहार किया। श्रीयुत अमृतलाल ठक्कर जिसने मामले का विवरण दिया है, उसने स्थान और पार्टियों के नाम नहीं दिए हैं। उन्हें आशंका थी कि कहीं दलित वर्ग के बेचारे स्कूल मास्टर को चिकित्सा कर्मचारी कहीं और परेशान न करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि नाम बताए जाएं। ऐसा समय आना ही चाहिए कि जब हमें दलित वर्गों के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे इससे भी बड़े जुल्मोंसितम सहने की हिम्मत करें। उनकी पीड़ा पहले ही इतनी घनी है कि उसमें और बढ़ोतरी वे महसूस तक न कर पाएंगे। उन कष्टों के विरूद्ध लोकमत तैयार नहीं किया जा सकता, जिनका साक्ष्य न हो और जड़ का पता नहीं चले। मुझे बंबई की मैडिकल काउंसिल के नियमों का पता नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं कि अन्य जगहों पर जो डाक्टर फीस मिलने से पहले मरीज को देखने से इंकार कर देता है, वह काउंसिल के प्रति जवाबदेह होगा। उसका काउंसिल की सूची से नाम काटा जा सकता है अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। निस्संदेह फीस ली जानी चाहिए, परन्तु किसी डाक्टर का पहला काम मरीज की उचित देखभाल करना है। लेकिन यदि बताए गए तथ्य सही हैं, तो वास्तविक अमानवीयता यह है कि चिकित्सक ने अस्पृश्य के घर जाकर स्वयं मरीज देखने और स्वयं थर्मामीटर लगाने से इंकार कर दिया। यदि किसी भी हालत में अस्पृश्यता का नियम लागू होना है, तो निश्चित रूप से वह इस व्यवसाय के इस व्यक्ति पर लागू होना चाहिए, जिसने व्यवसाय को कलंकित किया है। परन्तु मुझे आशा है कि श्रीयुत ठक्कर के संवादाता, ने कुछ बढ़ा–चढ़ाकर लिखा है और यदि ऐसा नहीं है, तो चिकित्सक स्वयं सामने आएगा और उस

समाज की पर्याप्त भरपाई करेगा जिसे उसने अपने अभद्र व्यवहार से कलंकित किया है।

पढ़ें, समझें और सिर धुनें

काठियावाड़ के एक गांव में दलित वर्गों के बच्चों के लिए एक स्कूल है। अध्यापक एक सुसंस्कृत और देशभक्त व्यक्ति है, जो डेढ़ जुलाहा (अस्पृश्य) जाति से है। उन्होंने महामहिम गायकवाड़ की अनिवार्य शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्राप्त की है और वह अपनी जाति के उद्धार के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वह इतने सभ्य तथा सुसंस्कृत व्यक्ति हैं कि कोई भी उन्हें अस्पृश्य जाति का व्यक्ति नहीं कह सकता। परन्तु उसे क्योंकि सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश काठियावाड़ के एक रूढ़िवादी गांव में अपने ही जाति के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, अतः उन्हें सब कोई अस्पृश्य ही मानते हैं। परन्तु इस सबकी परवाह किए बिना वह शान्तभाव से अपना कार्य कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसे भी क्षण आते हैं, जब धैर्यवान व्यक्ति भी यदि असहनीय परिस्थितियों में रह रहा है तो अपनी वेदना और प्रताड़ना को प्रकट कर देता है। वह इस स्कूल मास्टर के निम्नलिखित पत्र से प्रकट हो जाता है। इसके हर छोटे से छोटे वाक्य से करूणा टपक रही है। मैंने पत्र में लिखे गांव के नाम और सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम जान-बूझकर प्रकट नहीं किए हैं, ताकि कहीं ऐसा न हो कि स्कूल मास्टर को और कष्ट सहने पड़े।

6. नमस्कार। मेरी पत्नी ने इस महीने की पांच तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया। 7 को वह बीमार पड़ गई, उसे दस्त लग गए, आवाज बंद हो गई, सांस लेने से तकलीफ होने लगी, छाती पर सूजन आ गई और पसलियों में दर्द होने लगा। मैं डा. — को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा, "मैं अस्पृश्य के घर नहीं जाऊंगा। मैं उसकी जांच भी नहीं करूगा।" तब मैं नगरसेठ के पास गया और गरसिया दरबार के पास गया और उनसे गुजारिश की कि वे इस मामले में मेरी मदद करें। वे आए और नगरसेठ ने जब यह जमानत दे दी कि मेरी ओर से फीस के रूप में वे दो रूपये डाक्टर को देंगे और इस शर्त पर, कि मरीज को घर के बाहर निकालने के बाद ही वह उसे देखेगा, वह आने को तैयार हो गया। वह आया और दो दिन की जच्चा को बाहर निकलवा दिया। तब डाक्टर ने थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया। फिर उसने मुझे दिया। मैंने थर्मामीटर लगाया और मुसलमान को लौटाया और उसने डाक्टर को दिया। तब कोई रात के आठ बजे होंगे और लैम्प की रोशनी में डाक्टर ने थर्मामीटर देखकर कहा कि "इसे निमोनिया है और सांस घुट रही है"। इसके बाद डाक्टर चला गया और दवाई भेज दी। मैंने बाजार से अलसी का तेल खरीदा और हम उसकी छाती पर अलसी के तेल की पुल्टिस बांध रहे हैं और दवाई दे रहे हैं। डाक्टर फिर उसे जांचने को तैयार नहीं हुआ। उसने दूर से ही देखा। मैंने उसे फीस के दो रूपये दिये। बीमारी खतरनाक है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है।,

II

मेरे जीवन का प्रकाश बुझ गया है। आज दोपहर बाद दो बजे उसका निधन हो गया। टिप्पणी करना व्यर्थ है। उस डाक्टर की अमानवीयता के बारे में कोई क्या कह सकता है, जिसने शिक्षित होते हुए भी थर्मामीटर लगाने तक से इंकार कर दिया और साफ भी मुसलमान से कराया। उसने दो दिन से तड़प रही एक नारी को कुत्ते बिल्ली से भी गया बीता समझा। कोई उस समाज को क्या कहे, जो इस अमानवीयता को सह रहा है। कोई केवल समझ कर सिर की धुन सकता है।

ए.वी.ठक्कर

मद संख्या 6

(टाइम्स आफ इंडिया, 1-4-28 और 10-2-28 से)

हिन्दुओं का अत्याचार

बलाइयों के लिए नियम

निर्धारित जीवनचर्या

पिछले मई के महीने में सवर्ण हिन्दुओं ने अर्थात कलोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों ने जिनमें गांव कनाड़िया, बिचौली हफ्सी, बिचौली, मरदाना और इंदौर जिले के 15 दूसरे गांवों के पटेल व पटवारी भी शामिल हैं, बलाइयों से कहा है कि यदि वे इन गांवों में रहना चाहते हैं, तो उन्हें ये नियम मानने पड़ेंगेः 1. बलाई जरी की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे; 2. वे रंगीन या फैंसी किनारीदार धोती नहीं पहनेंगे; 3. वे किसी हिन्दू की मृत्यु पर उसके रिश्तेदारों को खबर करेंगे, चाहे वे कितने ही दूर रहते हों; 4. हिन्दुओं के शादी, विवाह के अवसर पर बारात के आगे और शादी के दौरान गाने बजाने का काम करेंगे; 5. बलाई स्त्रियां सोने-चांदी के जेवर नहीं पहन सकतीं, वे फैंसी लंगहे व कुर्ती भी नहीं डाल सकती; 6. बलाई स्त्रियां हिन्दुओं की स्त्रियों का प्रसव कराएंगी; 7. बलाइयों को ये खिदमतगारी बिना उजरत के करनी होगी और खुशी से उन्हें जो दिया जाएगा, उसे वे स्वीकार कर लेंगे; 8. यदि बलाई इन शर्तों को नहीं मानते हैं, तो वे गांव छोड़ दें।

बलाइयों का इंकार

बलाइयों ने शर्तें मानने से इंकार कर दिया और हिन्दुओं ने उनके विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। बलाइयों का कुओं पर चढ़ना बंद हुआ। उनके पशुओं के चरने पर रोक लगी। हिन्दुओं की जमीन पर होकर गुजरना बंद हुआ। यदि किसी बलाई का खेत हिन्दुओं के खेतों से घिरा है तो उसके रास्ते बंद हुए। हिन्दुओं के जानवर बलाइयों के खेत उजाड़ने लगे। बलाइयों ने दरबार से गुजारिश की परन्तु उन्हें समय पर मदद नहीं मिली और सैकड़ों बलाई जुल्म सहते रहे। उन्हें अपने बाल बच्चों सहित वह गांव छोड़ना पड़ा जहां उनके पुरखे पीढ़ियों से रहते थे। वे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर जैस पड़ोसी दूसरे राज्यों के गांवों में जा बसे।

जबरन समझौता

इंदौर से उत्तर में केवल 7 मील दूर रेवती गांव के हिन्दुओं ने कुछ दिन पहले बलाइयों को आदेश दिया कि वे दूसरे गांवों के हिन्दुओं द्वारा बलाइयों के विरूद्ध बनाए गए नियमों पर आधारित स्वीकृत समझौते पर हस्ताक्षर करें। बलाइयों ने इंकार कर दिया। बताया जाता है कि उनमें से कुछ की हिन्दुओं ने बुरी तरह ठुकाई की और एक को खम्बे से बांध दिया और कहा कि उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वह समझौते पर हस्ताक्षर के लिए राजी हो जाए। उसने हस्ताक्षर कर दिए और जान छुड़ाई। कुछ बलाई दौड़कर अगले दिन 20 दिसम्बर को प्रधानमंत्री के पास चले गए और उन्हें रेवती गांव के हिन्दुओं के जुल्म की रामकहानी सुनाई। उन्हें जिले की सभा के पास भेजा गया। इस अधिकारी ने पुलिस की सहायता से जांच की और सिफारिश की कि हिन्दुओं के विरूद्ध भारतीय दंड सहिंता की धारा 342 और 147 के अधीन और बलाइयों के विरूद्ध धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाए।

बलाइयों ने गांव छोड़ा

जाति उत्पीड़न

कानून की जानकारी न होना, एक असुविधा

कई गावों के बलाइयों के प्रति हिन्दुओं के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। यह पहले बताया जा चुका है कि सवर्ण हिन्दुओं ने बलाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया। इंदौर जिले के अकेले देपालपुर परगने में भारी संख्या में बलाइयों को घर छोड़ने पड़े और आस पास के राज्यों में शरण लेनी पड़ी। जिन गांवों से बलाइयों को भागना पड़ा वे हैं-बदोली, अहिर खेड़ाल, पिपलोदा, मूरखेड़ा, पामलपुर, बड़ौदा, चटवाड़ा, नेवरीपान, सनौधा, अजनौटी खतेड़ी और सनावड़ा। पामलपुर गांव तो पूरी तरह उजड़ गया और वहां बलाइयों का नामोनिशान नहीं है। बताया जाता है कि इन गावों के एक निवासी नंदा बलाई की हिन्दुओं ने जमकर धुनाई की। रिपोर्ट के अनुसार एक गांव में हिन्दुओं ने बलाइयों की सभी झोपड़ियों में आग लगा दी और अभियुक्तों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

बलाई भोले भाले ग्रामीण है और कानून से अंजान हैं। उन्हें विश्वास है कि एक बार सरकार को अर्जी भेज देने से सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने का न तरीका पता है और ना ही उनके पास साधन हैं। और बताया जाता है कि वे कुछ मामलों में अपने आरोपों के समर्थन में न कोई गवाह पेश कर सके और न खुद पेश हो सके। मजिस्ट्रेट के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वह मुकदमा खारिज कर दे।

मद संख्या 7

(बंबई क्रानिकल, 25 फरवरी 1928 से)

(रूढ़िवादिता का पागलपन 'अस्पृश्यों के प्रति कथित बर्बर व्यवहार महार होने का अपराध)

अहमदाबाद से श्री केशवजी रन छोड़ वघेला ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकर को सूचना दी हैः

"बापूराव लक्ष्मण और उनके भाई कौरव पिछले 6 वर्षों से अहमदाबाद में रह रहे हैं। वे मराठा जाति के दक्कन से आए कुछ लोगों के साथ उठते बैठते थे। दामू और लक्ष्मण नामक कौरव के दो बेटे मराठों की भजन मंडलियों में हिस्सा लिया करते थे। लेकिन हाल में मराठों को पता चला कि दामू और लक्ष्मण नामक दोनों भाई महार जाति के थे और इस बारे में निश्चय करने के लिए सूरत और अहमदाबाद के बीच चलने वाली पार्सल ट्रेन में काम करने वाले दो महारों को दामू और लक्ष्मण को पहचानने के लिए खास तौर पर बुलाया गया। यह निश्चय कर लेने के बाद कि दामू और लक्ष्मण महार थे, उन्हें इसी महीने की 11 तारीख की आधी रात को कालूपुर भंडारी पोल में भजन मंडली के लिए बुलाया गया। जब पूछा गया कि वे किस जाति के थे, दामू और लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वे सोमवंशी थे। इस उत्तर से मराठे क्रुद्ध हो गए। मराठों ने उन्हें जी भर कर गालियां दी और कहा कि उन्होंने उनके व्यक्तियों और स्थानों को भ्रष्ट किया है। मराठों ने महार बधुंओं की ठुकाई व पिटाई की। एक भाई के पास सोने की अंगूठी थी। वह उससे जबरन छीन ली गई और उसे ग्यारह रूपये में बेच दिया गया। इस रकम में से 6 रूपये उस महार को अदा कर दिए गए, जिसे इन बंधुओं की पहचान के लिए सूरत से बुलाया गया था। दामू और लक्ष्मण ने मराठों से चिरौरी और विनती की कि उन्हें उनके घर लौटने दिया जाए, लेकिन मराठों ने कहा कि वे तभी जा सकते थे, जब वे 500 रूपये का जुर्माना अदा कर दें। जब महार बंधुओं ने कहा कि वे इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकते तो एक मराठे ने सुझाव दिया कि महार बंधुओं पर केवल 125 रूपये का जुर्माना किया जाए। लेकिन एक मराठे ने जुर्माने के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें केवल जुर्माने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जाति छिपाने के अपराध के लिए महार बंधुओं को कठोर दंड देना चाहिए।

ऐसा निर्णय कर लेने के बाद महार बंधुओं को रोक लिया गया और सवेरे 9 बजे के लगभग उनका बर्बरतापूर्ण तिरस्कार किया गया। बांई ओर की उनकी मूछें और दांई ओर की उनकी भौंहें उस्तरे से साफ कर दी गईं। उनके शरीरों पर तेल और मिट्टी से सनी कालिख पोत दी गई। उनके गलों में पुराने जूतों की मालाएं डाल दी गईं। उनमें से एक के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी गई। दूसरे के हाथ में तख्ती पकड़ा दी गई। उस पर लिखा था कि अपराधियों को दंड इसलिए दिया गया कि उन्होंने उच्च जाति के लोगों को स्पर्श करने का दुस्साहस किया। महार बंधुओं का जुलूस निकाला गया। कोई 75 लोग उसमें साथ थे। आगे आगे ढोल पीटा जा रहा था।

उक्त दोनों महार बंधुओं ने पुलिस से शिकायत की है। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि दामू और लक्ष्मण के साथ कथित प्रकार से बर्ताव किया गया, लेकिन कहा कि शिकायत करने वालों ने स्वेच्छा से दंड भुगतना स्वीकार किया था। जाहिर है कि दामू और लक्ष्मण उस समय असहाय थे, जब उन्हें गालियां दी गईं, उन्हें मारा पीटा गया और कठोर दंड की धमकी दी गई और वस्तुतः उनका बर्बरतापूर्वक तिरस्कार किया गया। इस मामले ने तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों में भारी सनसनी पैदा कर दी है। शिकायत करने वालों को कानूनी मदद देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मद संख्या 8

(बोंबे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स, 1927, खंड 20)

(भाग 16 पृ. 1373)

पुलिस में महारों की भर्ती

डा. भीमराव अम्बेडकरः क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रेसिडेंसी में पुलिस बल में दलितों की भर्ती पर पाबंदी का कोई नियम है?

माननीय श्री जे. ई. बी. हाटसनः ऐसा कोई नियम नहीं है।

डा. भीमराव अम्बेडकरः क्या माननीय सदस्य मुझे बताने की कृपा करेंगे कि बंबई शहर के पुलिस आयुक्त पाबंदी न होते हुए भी दलितों को पुलिस में भर्ती करने से क्यों इंकार करते हैं?

माननीय श्री जे. ई. बी. हाटसनः यह एक बड़ा मामला है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, जिसे सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है और जो पुलिस में इन वर्गों की भर्ती में बाधा है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है।

टिप्पणी – श्री हाट्सन द्वारा बताई गई व्यावहारिक कठिनाइयां स्पष्टतः अस्पृश्यता से उत्पन्न कठिनाइयां हैं।

मद संख्या 9

(बोंबे लेजिस्लेटिव कांउसिल डिबेट्स, 1928, खंड 22)

(भार 2 पृष्ठ 96–97)

सरकारी सेवा में क्लर्क

श्री आर. एस. असरालेः क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों में क्लर्कों की संख्या क्या है?

माननीय श्री चुन्नीलाल मेहताः वांछित सूचना देने वाला विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है :

	मराठा और सम्बद्ध जातियां	मुस्लिम	दलित वर्ग	उन्नत हिन्दू	पारसी	ईसाई व यहूदी	अन्य	कुल
1. सचिवालय	31	11	—	268	38	81	11	440
2. लोक निर्माण विभाग	6	—	—	64	8	10	3	91
3. बंबई कलक्टर	3	8	—	28	—	4	1	44
4. आबकारी आयुक्त	1	—	—	12	5	—	—	18
5. अलघुवाद न्यायालय	9	7	—	58	1	5	8	97
6. उच्च न्यायालय	4	15	—	125	22	23	9	198
7. बंबई पुलिस के न्यायालय	7	4	—	32	—	4	—	47
8. बंबई पुलिस आयुक्त	—	7	—	59	—	4	—	87

मद संख्या 10

(टाइम्स आफ इंडिया, 30 मई 1928)

चमारदास और महारदास

ये बड़े–बड़े राजनीतिक सूरमा अस्पृश्यों की मजबूरियों और मुसीबतों का जब बखान करते हैं, तो वे कितने ईमानदार होते हैं, यह बात महाराष्ट्र सम्मेलन में उस समय एकदम साफ हो गई, जब अस्पृश्यता निवारण के प्रश्न को चालाकी से टाल दिया गया। इस चालाकी का विरोध करने वाले लगभग आधा दर्जन लोग स्वराज्य से जुड़े थे। उनमें से एक ने उस पत्र में एक बेलाग लेख लिखा जिसमें इस विकट समस्या के बारे में आम हिन्दुओं के दृष्टिकोंण का भंडाफोड़ किया गया था और महाराष्ट्र सम्मेलन में जो कुछ हुआ था, उस पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया था। पूना के समता संघ के बारे में लेखक का कहना है, "मेरे एक मित्र ने बातचीत के दौरान एक दिन मुझसे कहा, 'चूंकि आप जैसे लोग उनसे मिल जाते हैं, इसलिए ये चमारदास और महारदास इतने गुस्ताख हो जाते हैं'—।" इस कथन से कोई भी समझ सकता है कि सवर्ण हिन्दुओं के मन में अभी भी अस्पृश्यों के प्रति कितनी अधिक नफरत भरी है।

संकल्प और कृत्य

खिन्न सुधारवादी लेखक आगे कहता है, महात्मा जी ने उद्घोषणा की है कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर कलंक है। स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपत राय ने कहा है कि जब तक हिन्दू समाज से अस्पृश्यता का निवारण नहीं होगा, तब तक हम स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पिछले सात वर्षों के दौरान अस्पृश्यता निवारण के लिए कांग्रेस द्वारा संकल्प पारित किए जाते रहे हैं, परन्तु इन सभी गतिविधियों का क्या परिणाम निकला? उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अभी भी इस प्रकार की बातें करते हैं। हम कांग्रेस और हिन्दू सभा में से संकल्प पारित करते हैं, जिनमें मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश करने की वकालत की जाती है और आग्रह किया जाता है कि सार्वजनिक जलाशय, कुएं आदि उनके लिए खोल दिए जाएं। परन्तु जब उन पर अमल करने का समय आता है, तो हम अस्पृश्यों की भर्त्सना करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हैं तथा उन्हें जेल भिजवाते हैं।

मद संख्या–11

दपोली (जिला रत्नागिरि) में हुए दलित वर्ग सम्मेलन में पारित संकल्प

1. (क) यह सम्मेलन इस जिले में दलित वर्गों द्वारा मृत पशुओं का मांस खाने से इंकार करने के कारण उनके विरूद्ध तथाकथित हिन्दुओं द्वारा चलाए जा रहे उत्पीड़न के अभियान पर अपना रोष व्यक्त करता है।

(ख) इस सम्मेलन को यह जानकर बहुत दुःख हुआ है कि जिले के पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट दलित वर्गों के लोगों के साथ गाली–गलौज करते हैं और तथाकथित सवर्ण हिन्दुओं के अत्याचार और अन्याय से उनकी रक्षा नहीं करते। यथा दलित जातियों के पशुओं को काजी हौज में बन्द कर देते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और उनका सामाजिक बहिष्कार करके बाजारों से उन्हें दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं खरीदने देते।

यह सम्मेलन सरकार से अपील करता है कि वह वतनदार महारों को आम तौर पर दिया जाने वाला 'बलूता' पारिश्रमिक दिलाने के लिए कार्यवाही करे। इन महारों को सवर्ण हिन्दू ग्रामीण यह पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन महारों ने कह दिया है कि वे मृत पशु का मांस नहीं खाएगें और न वे मृत पशुओं को उठाएंगे, न भीख मांगेंगे और न अन्य गलीज काम करेंगे।

2. (क) पता चला है कि अनेक गांवों में पुलिस पटेल दलित वर्गों के लोगों के विरूद्ध उत्पीड़न के आंदोलन को शह देते हैं। अतः यह सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह ऐसे पुलिस पटेलों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें।

(ख) यह सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह दलित वर्गों की रक्षा के लिए उनमें से ही एक विशेष पुलिस निरीक्षक प्रत्येक जिले में नियुक्त करे तथा इन वर्गों के लोगों को पुलिस सेवा में भर्ती करें।

(ग) यह सम्मेलन सरकार से अनुरोध करता है कि वह वादवाल, मातवेन, तुलसी, देगांव, मंडनगढ़, सतारा आदि गांवों में सामूहिक जुर्माना करने वाली पुलिस तुरन्त तैनात करे और उसकी कमान दलित वर्गों के सैनिक पेंशनरों के हाथ में हो। इस पुलिस का खर्च इन गांवों में रहने वाले तथाकथित सवर्ण हिन्दू उठाएं, क्योंकि यह तथ्य है कि उत्पीड़न तथा सामाजिक बहिष्कार तथा खुले आक्रमणों के कारण दलित वर्गों के लोगों के लिए इन गांवों में रहना दूभर हो गया है।

3. इस सम्मेलन की यह दृढ़ सम्मति है कि भारत को स्वराज की कोई अगली किस्त तब तक न दी जाए, जब तक कि दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए कोई समुचित व्यवस्था न कर ली जाए।

मद संख्या – 12

(बंबई क्रानिकल, दिनांक 20–10–27 से)

नगरपालिका के स्कूल (बंबई शहर में)

स्कूल कमेटी ने पानी के 'लाटो' के मामूली से सवाल पर सहम कर अपनी स्थिति हास्यास्पद बना ली है, ऐसा लगता है कि निगम के इस संकल्प के बावजूद कि नगरपालिका के स्कूलों में जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, 'दलित वर्गों' के बच्चों को पानी पीने के लिए अलग लोटे दिए जाते हैं। स्कूलों की कमेटी की एक उपसमिति ने सिफारिश की कि सभी बच्चों को एक से लोटे दिए जाएं। लेकिन स्कूलों की कमेटी के सदस्य इस सिफारिश के बारे में गहन सोच में पड़ गए और सभी प्रकार की आशंकाएं उन्होंने व्यक्त की। कुछ ने कहा कि परिवर्तन से सवर्ण हिन्दू क्षुब्ध हो जाएंगे। जाहिर है कि छोटी जाति के हिन्दुओं के क्षोभ का तो कोई ज्यादा महत्व ही नहीं होता प्रो. बी.जी. राव ने कहा कि यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है। श्री डी.जी. दलवी ने, जो स्वयं एक जानेमाने समाज–सुधारक हैं, इन आशंकाओं में एक कानूनी आशंका जोड़ दी कि कुछ माता–पिता तो कमेटी पर मुकदमा ठोक सकते हैं। अंततः स्कूलों की कमेटी ने यह मसला विचार के लिए पुनः उपसमिति को भेज दिया, जिसका एक प्रकार से यही अर्थ था कि उन्हें उपसमिति की सिफारिश स्वीकार्य नहीं है।

जान–बूझकर किया गया अपमान

उपरोक्त आशंकाएं बेतुकी हैं क्योंकि हर बच्चे से आशा की जाती है कि वह लोटे को सफाई की दृष्टि से और यदि वह जातिभेद पर विश्वास रखता है तो जाति की दृष्टि से उसे भली–भांति साफ रखे। जिस लोटे को एक बार कोई 'अस्पृश्य' बच्चा इस्तेमाल कर लेता है, वह लोटा साफ हो जाने के बावजूद 'सवर्ण हिन्दुओं' के बच्चों के लिए स्वयमेव अस्पृश्य या बेकार हो जाता है। यह बात अभागे 'दलित वर्गों' के बच्चों को जान–बूझकर किया गया अपमान है। निश्चय ही हमें यह आशा नहीं थी कि स्कूलों की कमेटी उसका समर्थन करेगी। श्रीदलवी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए माता–पिता कमेटी पर यह दावा ठोक सकते हैं कि उसने ऐसे दायित्व को लागू किया है, जो किसी भी प्रकार कानूनी नहीं है। लेकिन किसी पर भी यह दायित्व नहीं डाला जा सकता कि वे स्कूलों में सांझे लोटों का इस्तेमाल करें। जो माता–पिता अधिक कट्टर हैं, अपने बच्चों को उनके निजी लोटे दे सकते हैं और अपने 'धर्म' की रक्षा कर सकते हैं। जहां दलित वर्गों का संबंध है, उनका अपमान तो होता ही है, चाहे वे अपना निजी लोटा लाएं या अन्य स्कूलों में चले जाएं जहां न्याय का और अच्छा वातावरण हो।

साभार –
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–4
पृष्ठ सं. 147 से 180
डॉ. अम्बेडकर
साइमन कमीशन के साथ

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
केदार नाथ (समाजसेवी)
सेवानिवृत्त (आर्डिनेन्स पैराशूट फैक्ट्री)
T-II 32, कैनाल कालोनी, गोविन्द नगर, कानपुर
मो0 : 9451781412

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएं ....
राम प्रकाश भारती
रा.अ. अखिल भारतीय स्वच्छकार समाज महासभा
रा.स. अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ
200, महादेव नगर, रतनलाल नगर, कानपुर
मो0 : 9450489146

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएं ....
राजेन्द्र कुमार कुरील
लेखकार पी.पी.एन. डिग्री कालेज
कानपुर

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएं ....
उर्मिला राजपूत
समाजसेवी
900, गोविन्द नगर, कच्ची बस्ती, वार्ड-3, कानपुर
मो0 : 9889969568

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएं ....
इं. लाल बहादुर
मीटर सेक्शन, बिजलीघर,परेड
कानपुर

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएं ....
अजीत कुमार
जेई, के.डी.ए.
कानपुर

रक्षाबन्धन

श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबन्धन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन वर्षा का हवन यज्ञों द्वारा आह्वान किया जाता है। इस दिन दो त्यौहार इकट्ठे ही हो जाते हैं। एक श्रावणी और दूसरा रक्षाबन्धन। इस दिन ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए जिजमान के है और बहन भाई को राखी बांधते हैं। इस दिन द्विज लोग नया जनेऊ धारण करते हैं। इस सम्बन्ध में एक कथा प्रचलित है। एक बार आर्य देवता और दैत्य अनार्यों में 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा अनार्य विजयी हो गये और इन्द्रादि पराजित हो गए। इन्द्र ने गुरू बृहस्पति से कहा कि अब तो न मैं ठहर सकता हूँ न ही भाग सकता हूँ अब तो मरना ही निश्चित है। तब गुरू की सलाह पर इन्द्र ने अपनी पत्नी का प्रयोग कर जाल रचा और मोहिनी की भांति दैत्यों के साथ एक पोटली बांधकर छल किया तथा दैत्यों को युद्ध स्थल से गुमराह कर हटा दिया तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है।

विधि–विधान : द्विज लोग गांव के समीप तालाब या नदी में पुरोहित की बताई विधि के अनुसार श्रावणी कर्म कराते हैं। शरीर की शुद्धि के लिये दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र पंच गव्य बनाकर दिए जाते हैं व खीर, घी, शक्कर जौ का विधिवत हवन होता है। उपाकर्म कहते है फिर पानी में खड़े होकर सूर्य की स्तुति होती है। सात ऋषियों व पित्रों का पूजन कर दधि व सत्तू की आहुतियां दी जाती हैं। इसे उत्सर्जन कहते हैं। दोपहर के बाद सूती ऊनी वस्त्र लेकर चावल रख गांठ लगाकर हल्दी केसर के रंग में रंगकर उसे रख देते हैं। गोबर से लिपवा कर चावलों से चौक पुरवा कर उस पर अन्न भरा घड़ा रखते हैं और पुरोहित को बुलाकर घड़े का पूजन कराते हैं। चावल की पोटरियाँ यजमान के हाथ में बांधते है और ब्राह्मण मन्त्र पढ़ते हैं। इस दिन नदी के किनारे ब्राह्मण नया जनेऊ धारण करते हैं। औरतें आदमियों की आदमियों की आरती उतारती हैं।

उद्देश्य एवं रहस्य : इस त्योहार के निम्नलिखित उद्देश्य रहे हैं।

(1) यह ब्राह्मण पूजा का दिन है। इस दिन ब्राह्मणों को नरम और मीठा भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण अपनी रक्षा का भार राखी बांधकर दूसरों पर डालता है और इसी बहाने वह अन्न, सोना, दूध, दही का दान एठता है।

(2) दूसरा इस त्योहार का रहस्य यह है कि यही अनार्यों को दमन उचित ठहराते थे। त्यौहार आर्य और अनार्य संघर्ष एवं अनार्य दमन की यादगार है। यह इस बात का भी रहस्य है कि आर्य जब हार जाते थे तो स्त्रियों को कपट के लिये काम में लेते थे। कपट से भी अनार्यों को दमन उचित ठहराते थे।

(3) हवन यज्ञों में विधान के द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों का दान से हित साधन करना भी इसका उद्देश्य रहा है।

(4) यह त्योहार स्त्री दासता का प्रतीक है। स्त्री को निर्बल अबला कहकर इसकी रक्षा का भार पुरूष पर डाला गया हैं। अपनी रक्षा की राखी बांधकर स्त्री सदैव दूसरों की आश्रित और अपने को हीन समझती रहे यह भी इस त्यौहार का उद्देश्य है।

(5) गाय की पूजा और पवित्रता की स्थापना हेतु गौमूत्र का हवन करना गाय की भक्ति को प्रोत्साहन देना है।

इस प्रकार यह त्यौहार अर्नाय, जो आज के शूद्र हैं, उनका नहीं है। दशहरा क्षत्रियों का दिवाली वैश्यों की और इसी प्रकार श्रावणी ब्राह्मणों का ही त्योहार है।

सामार – हिन्दुओं के वर्त पर्व और त्यौहार
एस.एल.सागर

हिन्दू धर्म मात्र एक जीवन शैली का नाम है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 नवम्बर, सन् 2005 ई० को एक निर्णय में घोषित किया कि हिन्दुत्व भारतीयों की जीवन शैली है।

अभी गत् वर्ष 2005 ई० में जर्मनी पुस्तक मेले में हवाई अड्डे पर ईसाई, यहूदी, पारसी, इस्लाम इत्यादि धर्मावलम्बियों के लिए पृथक–पृथक उपासना–स्थल नियत थे किन्तु हिन्दुओं के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। सच्चाई यह है कि हमारे आचार्यों ने धर्म को बाहर निकलने ही नहीं दिया था। समुद्र पार करना जिन्होंने प्रतिबन्धित कर रखा है उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वे धर्म को विदेशों में जाने की अनुमति देगें।

हिन्दुओं में धर्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है, उसे विवेकानन्द जी ने जीवन पद्धति की संज्ञा दी है। चार वर्णों में बंटा समाज, कौन मन्दिर जाये कौन मन्दिर न जाये, कौन अच्छा खाये, कौन अच्छे वस्त्र पहने कौन नहीं, यह जीवन शैली नहीं तो और क्या है। एक ओर जीवन पद्धति की सांसारिक व्यवस्था और दूसरी ओर परमात्मा में प्रवेश, इस स्थिति में दोनों की क्या तुलना हो सकती है। जब यह धर्म ही नहीं हैं, मात्र जीवन शैली है तो धर्म से क्यों होड़ लगाते हैं।

शास्त्र सूत्र और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए महापुरूषों के नाम से स्मृति ग्रन्थों की रचना करके जीवन पद्धति को धर्म धर्म कहकर भाव प्राण जनता के समक्ष रखा गया है और यह जनता इस जीवन पद्धति को ही धर्म समझ बैठी। शिक्षा को प्रतिबन्धित कर व्यवस्थाकारों ने इन स्मृतियों को भी छिपा कर रखा। इनमें लिखा है कि इन स्मृतियों को वही पढ़ सकता है। जो गर्भाधान से चिता तक का मंत्र जानता हो, अधिकांश ब्राह्मण भी इसे नहीं जानते हैं इन स्मृतियों में व्यवस्था थी कि जातिपाति में जीवन यापन करना ही धर्म है, उसका उल्लंघन करना अधर्म है। शूद्र मंदिर न जाये, शादी व्याह में भी कमर से ऊपर वस्त्र न पहने। वह गाय का दूध न पिये वरना नरक जायेगा। अध्ययन, अध्यापन पर ब्राह्मणों का एकाधिकार, मंत्री पद ब्राह्मण को, न्याय ब्राह्मण ही करेगा, राजा करता है तो नरक जायेगा। बड़े मामलों में ब्राह्मणों से राजा भी परापमर्श कर ले। धर्माध्यक्ष ब्राह्मण की इस व्यवस्था को धर्म कहने की भूल का सुधार क्यों न कर लिया जाये। इस प्रयास में सर्वप्रथम धर्म को उन धर्माचार्यों से मुक्त कराना होगा। जो धर्म को जकड़े बैठे हैं। धर्म बचा था महापुरूषों के चिन्तन में जो शान्त एकान्त जंगल में जो चिन्तनरत थे। उनके हृदय में धर्म तब भी सुरक्षित था, आज भी है, उनसे धर्म की परिभाषा लें।

आज लाखों करोड़ों हिन्दुओं का धर्मान्तरण हो रहा है। आज आवश्यकता है एक ऐसे धर्म शास्त्र की जो झोपड़ी से महलों तक सबको एक जैसा आश्वस्त कर सके। जिससे ऊँच नीच, अमीर–गरीब, सब एक थाली में खाने लगे, एक माँ की संतान के रूप में सब को पहचानने लगे। धर्म अपको मन, क्रम, वचन से एक परमात्मा के प्रति समर्पण दिलाता है। आज भारत शास्त्र विहीन है, भटक रहा है, जिसने जो कह दिया धर्म बन बैठा, करोड़ों भगवान करोड़ों मंत्र, करोड़ों पूजा–पद्धतियों में पूजा का पुतला, ऋषियों की संतान भारत भटक रहा है ये बौद्धिक निर्णय की देन है कि व्यवस्था रीति–रिवाज ही धर्म का स्थान ले लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी भारत में अनेक कुरीतियाँ मौजूद थी। भगवान ने उन कुरीतियों का निवारण किया। गीता के द्वारा उन्होंने बताया कि हम–आप सभी एक ईश्वर की संतान है। और उतने ही पावन है जितने भगवान है। मात्र जीवन शैली को धर्म की संज्ञा देना भयंकर भूल है।

बहुजन विचार मंच, कानपुर नगर
संयोजक – सी० पी० ओमर
मो० : 9305256450

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
रवि कुमार
रिटा. जे.डी.सी. सी–161, से.–डी,
एल.डी.ए., कानपुर रोड, लखनऊ

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
पप्पू ताराचन्द्र
प्रान्तीय प्रमुख महासचिव अखिल
भारतीय वाल्मीकि समाज महासभा उ0प्र0
मो0: 9336236378

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ....
संजीव कुमार कनौजिया
परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई (द्वितीय) उ0प्र0
जल निगम कानपुर

स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों

को हार्दिक शुभकामनायें

आशाराम त्यागी

निवासी चरखारी जिला महोबा पुत्र श्री घुराम

युवा ब.स.पा. नेता पूर्व जिला महासचिव ठेकेदार आबकारी कान्ट्रेक्शन वर्ग

श्रीमती

किरन त्यागी

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें!

नशे में वाहन न चलायें, सुरक्षित घर पहुँचें।

सौजन्य से –

समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी गण

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

इलायापेरुमल कमेटी (1969) की संस्तुति को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, डी.जी.ई. एण्ड टी.के. अधीन देश के राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के स्थापना की है। इसी क्रम में वर्ष 1970 ये यह केन्द्र कानपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति की सेवा में कार्यरत है।

उद्देश्य :

1. शिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभ्यर्थियो के सही मार्गदर्शन देते हुए सही दिशा निर्देशन उपलब्ध कराना।
2. अध्यापन एवं प्रशिक्षण के द्वारा बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के रोजगार बाजार की सूचना देना एवं रोजगार प्राप्त करने में अनेक कार्यक्रमों द्वारा विविध स्तर पर उनकी सहायता करना।

'सी.जी.सी.' कानपुर की गतिविधियाँ

पंजीयन पूर्व मार्गदर्शन • सम्प्रेषण पूर्व मार्गदर्शन • साक्षात्कार पूर्व मार्गदर्शन • सामूहिक पूर्व मार्गदर्शन • व्यक्तिगत/सूचना मार्गदर्शन • आत्मविश्वास कार्यक्रम • पुनरीक्षण कार्यक्रम • व्यवसायिक सूचना • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण। • टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण • कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य समूह "ग" परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग कार्यक्रम। • स्व–रोजगार • उच्च शिक्षा के साथ में भविष्यी नियोजन हेतु परामर्श • कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम • साक्षात्कार कला • अभिभावकों से विचार विमर्श • रोजगार सम्बन्धी अन्य समस्यायें।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
डी.जी.ई.एण्ड टी.

उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर, जी.टी. रोड, कानपुर

"जल अमूल्य निधि है" "जल ही जीवन है"

जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर

जल संरक्षण के हित में उपभोगताओं से अपील

जन सामान्य के अच्छे भविष्य हेतु जल–संरक्षण

1. यदि किसी स्थान पर गंदा पानी आ रहा हो तो उसकी सूचना हमें तत्काल जलकल कन्ट्रोल रूप फोन नम्बर–0525–2549018 पर दें।
2. यदि आपको कहीं पानी की मेन लाइन लीकेज हो तथा सीवर मेनहोल खुला दिखाई दे तो बेनाझाबर स्थित जलकल विभाग मुख्य कार्यालय एवं क्षेत्रीय जोनल कार्यालय में सूचित करें।
3. यदि आपकी पाइप लीकेज हो तो उसे नियमानुसार तुरन्त ठीक करवा लें।
4. सीधे पाइप लाइन पर मोटर लगाना कानून के विरूद्ध है।
5. यदि आपका जल/सीवर संयोजन अवैधानिक है तो तत्काल नियमितिकरण करवा लें।
6. यदि आपकी पाइप लाइन नाली अथवा किसी अन्य गन्दे स्थान से होकर जा रही है तो उसका स्थान परिवर्तन करालें अथवा उस पर केसिंग पाइप अवश्य लगवा लें।
7. कूड़ा–करकट व पालीथिन सीवर लाइन में न डालें, इससे सीवर चोक हो जाती है।
8. अपनी ही सुविधा के लिए पानी की बर्बादी रोकें तथा सीवर लाइन साफ रखने में हमारी मदद करें।
9. मेनहोल कवर चोरी होने से दुर्घटनायें होती है तो उसकी सुरक्षा में हमारी मदद करें।
10. बकाया जलकर/जल मूल्य/सीवर कर का भुगतान समय से कर छूट का लाभ प्राप्त करें।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि लोग पीने के (ट्रीटेड) पानी से अपने लान, किचेन, गार्डेन, फूलों की क्यारियों आदि की सिंचाई तथा गर्मियों में धूल/गर्मी से बचने के लिए घर के सामने की सड़क भिगोते हैं। जनमानस से अनुरोध किया जाता है कि पेयजल की महत्ता को पहचाने एवं इस अमूल्य धरोहर/संसाधन के अपव्यय से बचाने का प्रयास करें।

जल विभाग का 24 घंटे कार्यरत कन्ट्रोल रूम फोन नं०: 0512–2549018,
क्षेत्रीय कार्यालय के दूरभाष नं० : अधिशासी अभियन्ता जोन–1 9235553836, जोन–2 9235553839, जोन–3 9235553817, जोन–4 9235553815, जोन–5 9235553826, जोन–6 9235553816

इंजी. जवाहर राम	देवेन्द्र सिंह कुशवाहा	कैप्टन पं० जगतवीर सिंह द्रोण
महाप्रबन्धक	नगर आयुक्त	महापौर

सेवा में,

नाम श्री.....

पता .....

.....

.....

प्रकाशनार्थ

भीम फाइटर्स इन्टरनेशनल (संघर्ष का प्रतीक)

आपके सफल नेतृत्व में देश जिस सुन्दर गति से प्रगति कर रहा है, उसके प्रति आस्थावान होकर भीम फाइटर्स इन्टरनेशनल (संघर्ष का प्रतीक) सामाजिक संस्था, आपका ध्यानाकर्षण बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान दिलाने व भारतीय मुद्रा में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह (अशोक स्तम्भ) पूर्व की भाँति मुद्रण किये जाने हेतु संस्था दृढ़ संकल्पित होकर विनम्र निवेदनशील है।

सर्व विदित हो कि किस प्रकार से बोधिसत्व भारत रत्न डा० बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम बराक ओबाम द्वारा (Symbol of Knowledge) ज्ञान का प्रतीक बताकर सम्मानित किया है। साथ ही साथ उनके सम्मान में यह भी कहा है कि यदि डा० बाबा साहेब हमारे देश में जन्में होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर सम्बोधित करते। इतना ही नहीं कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा अपनी तीन सौ वर्षों की खोज में यह पाया है कि उनके विश्वविद्यालय में डा० अम्बेडकर जैसा विद्वान छात्र अब तक शिक्षाध्ययन करने नहीं आया अर्थात उन्होंने बाबा साहेब की विद्वता स्वीकार किया, तथा यह माना है कि डा० अम्बेडकर ने अपनी विद्वता से समस्त विश्व को एक नई दिशा प्रदान की है एवं उनके सम्मान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 अप्रैल अम्बेडकर जन्मोत्सव को (World Knowledge Day) विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाये जाने का आवाहन किया है। परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होते हुये भी भारत सरकार द्वारा बाबा साहेब के सम्मान में अभी तक कोई भी आवाहन नहीं किया गया है।

इसलिये इस ज्ञापन के माध्यम से संस्था की प्रथम माँग है कि भारत सरकार अविलम्ब बाबा साहेब के सम्मान में, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश व इस दिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा 15 अगस्त 2015 को लालकिले के प्राचीर से की जाये।

यह भी विदित हो कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष एवं लोकतंत्र की हिमायत करने वाला देश है। परन्तु जातीय भेदभाव के कारण डा० अम्बेडकर जैसे महान विद्वान की विद्वता स्वीकार नहीं की जा रही है। यदि वास्तव में डा० अम्बेडकर हमारे देश में न पैदा हुये होते तो हमारे देश को स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी। डा० अम्बेडकर ही इस देश के एक मात्र महान विद्वान थे जिन्होंने अपनी विद्वता से भारत का संविधान लिखा जिससे हमारे देश को पूर्ण गणतंत्र हासिल हुआ साथ ही साथ अपनी विद्वता से सनातनी शूद्रों को उनका हक व सम्मान दिलाने के लिये 14, अक्टूबर, 1956 को नागपुर की धरती पर पाँच लाख नर नारियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर समता मूलक समाज की स्थापना की थी। बौद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है, जिससे हमारे देश की एकता व अखण्डता कायम है। परन्तु एक षड़यंत्र के तहत बौद्ध धम्म के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय मुद्रा में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के स्थान पर व्यक्ति विशेष का आवंटन करके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का घोर अपमान किया गया है। यह एक खुला राष्ट्रदोह है भीम फाइटर्स के भीम सेनानी व बौद्ध उपासक व उपसिकायें भारत सरकार से द्वितीय माँग करती है कि भारतीय मुद्रा में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को अविलम्ब पूर्व की भाँति यथा स्थान पर मुद्रित किया जावे क्योंकि करोड़ों–करोड़ों राष्ट्र प्रेमियों व बौद्ध उपासकों की भावनायें इस कृत्य से आहत हुयी है।

राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के बौद्ध स्थल से लिया गया है जिसको भारतीय संविधान में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अंगीकार किया गया है और राष्ट्र में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से उच्च स्थान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार से विनम्र निवेदन के साथ प्रार्थना है कि अविलम्ब भीम सैनिकों व बौद्ध उपासकों एवं राष्ट्र प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त दोनों भागों को 15 अगस्त से 26 जनवरी 2016 तक मान लिया जाना चाहिये अन्यथा की स्थिति में भीम फाइटर्स इन्टरनेशनल देश व्यापी आन्दोलन चलाकर 27 फरवरी 2016 से अपना विरोध दर्ज करके किसी भी हद तक जाने को मजबूर होंगे।

धन्यवाद

अध्यक्ष
आकाश सिंह बादल (एडवोकेट)

संस्थापक
संतोष बौद्ध

प्रकाशनार्थ

भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति/जनजाति/बुद्धिष्ठ कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ

भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति/जनजाति/बुद्धिष्ठ कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ द्वारा निगम के अध्यक्ष श्री एस. के. रॉय द्वारा कल्याण संघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री के.पी. चौधरी के डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्दाबाद के नारे लगाने के नारे लगाने पर निलंबन एवं चार्जशीट करने के विरोध में देशव्यापी आन्दोलन का आयोजन किया जा रहा है।

आज दिनाक 4 अगस्त, 2015 का देश के सभी 113 मण्डल कार्यालयों पर गेट मीटिंग आयोजित कर एक ज्ञापन निगम के अध्यक्ष को भेजा गया जिसमें कल्याण संघ ने निगम के अध्यक्ष से संसदीय समिति के पत्र दिनांक 18.06.2015, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 17.08.2011 एवं राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.1998 में दिये गये निर्देशों को निगम में लागू करने, विशेष भर्ती अभियान द्वारा एस.सी./एस.टी. के सभी कैडर्स के बैकलॉग को अविलम्ब भरने, एस.सी./एस.टी. समाज के विकास अधिकारियों का टर्मीनेशन रोकने, बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्रों को निगम में ससम्मान लगाने, सहायक वर्ग की भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक से बारवीं पास करने, आउट सोर्सिंग रोकने तथा वेज रिविजन को तुरंत लागू करने की मांग की है।

कल्याण संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिनांक 11 अगस्त, 2015 को निगम के सभी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा तथा मांग पत्र को सरकार के सभी मंत्रियों, सांसदों आदि को भेजा जाएगा दिनांक 13 अगस्त, 2015 को वित्त मंत्रालय नई दिल्ली पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा। दिनांक 13 अगस्त, 2015 से 22 अगस्त, 2015 तक कल्याण संघ के सभी सदस्य काला रीबन बाधंकर अपनी मांगों को मांग पत्र धारण करेंगे। दिनांक 22 अगस्त, 2015 को निगम के सभी कार्यालयों पर धरना आयोजित किया जायेगा। दिनांक 01 सितम्बर, 2015 को निगम के स्थापना दिवस के मौके पर निगम के केन्द्रीय कार्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जायेगा। कल्याण संघ ने निर्णय लिया है कि जबतक एस.सी./एस.टी. समाज की मांगों को पूरा नहीं किया जायेगा तबतक कल्याण संघ का आन्दोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में श्री शैलेन्द्र कुमार, गोपाल गाठी, पीके आनन्द, जगदीश कुमार क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अलावा मण्डलीय पदाधिकारी, महासचिव राधे श्याम वर्मा, अध्यक्ष मदनलाल रहे।

आपसे निवेदन है कि इस समाचार को अपने समाचार पत्र/टी.वी. चैनल में उपरोक्त आन्दोलन को कवर करने की कृपा करें।

श्री राकेश कुमार आर. के गौतम, विकास गहरवार दीपक हजारिया। एस० के० निरन्जन, राकेश चौधरी, किशन लाल, हंस जी, प्रमोद कुमार जी, राजेन्द्र कुमार जी, नवीन जी

सधन्यवाद

मण्डल सचिव
आर. एस. वर्मा

अध्यक्ष
मदन लाल

कालेश्वर दयाल
पी.ए.
कार्यालय मुख्य अभियंता
राम गंगा सिचाई विभाग, कानपुर, उ0प्र0

आनन्द मोहन
संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कानपुर

राम नरायण वर्मा
श्रम प्रर्वतन एवं संसाधन अधिकारी
अपर श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

जगमोहन
उप निदेशक लेबर डिर्पाटमेन्ट
श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

इं. राम अवतार चौधरी
जल संस्थान इलाहाबाद

हनुमान प्रसाद
प्रभागीय लेखाधिकारी
अधि.अभि. कार्यालय, लो.नि.वि. कानपुर